अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–48 / 2025.

1. कमलेश्वर पासवान ..... आवेदक।

Web Copy not Official

बनाम

(1) बिहार सरकार .....

(2) रामजन्म पासवान .....

(3) रबिन्द्र कुमार उर्फ पल्लर पासवान.....विपक्षीगण।

आदेश

19.05.2026

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद अनुमण्डल दण्डाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली के द्वारा पारित आदेश दिनांक–09.10.2024 के विरूद्ध दाखिल की गयी है। पारित आदेश दिनांक 09.10.2024 मे अनुमण्डल दण्डाधिकारी, हाजीपुर द्वारा वाद की कार्यवाही द0प्र0स0 144 (163 BNSS Act) को समाप्त किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित है।

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद मे विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक द्वारा आदेश दिनांक 09.10.2024 के विरूद्ध अन्य कोई आवेदन / रिविजन दाखिल नही किया गया है। आवेदक को दिनांक 09.10.2024 के आदेश की जानकारी नही थी, आवेदक को दिनांक 23.02.2025 को आदेश की जानकारी हुयी थी तत्पश्चात् प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक द्वारा अनुमण्डल दण्डाधिकारी, हाजीपुर, के समक्ष मिस्लेनियस केस नं0–पी0315 / 24 द0प्र0स0 144 (163 BNSS Act) की शुरूआत के लिए दाखिल किया गया था जिसमे अनुमण्डल दण्डाधिकारी, हाजीपुर, द्वारा लालगंज थाना एवं अंचलाधिकारी लालगंज से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर वाद की कार्यवाही द0प्र0स0 144 (163 BNSS Act) को समाप्त किया गया जो कि अवैधानिक है,

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–48 / 2025.

अनुमण्डल दण्डाधिकारी, हाजीपुर, द्वारा वास्तविकता को नजरअंदाज किया गया तथा सामुहिक परिवार के अर्जित आमदनी से भूमि को खरीदा गया था जिसपर विपक्षी सं0–2 कब्जा किए हुए है, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, हाजीपुर, इस पर ध्यान नही दिया कि शांति भंग होने की प्रबल संभावना है। लालगंज थाना एवं अंचलाधिकारी लालगंज द्वारा वास्तविकता से अलग जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया कि प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत किया जाए।

Web Copy Not Official

विपक्षी की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित है और उक्त आवेदन का विरोध करते है तथा विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी, हाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2024 वैधानिक एवं संपुष्ट करने योग्य है। विपक्षी सं0–2 ने अपने स्वयं की अर्जित रूपये से जमीन खरीदी है तथा शांतिपूर्ण दखल कब्जा मे रहते चले आ रहे है। जमीन पर पुर्णत शांति स्थापित है। आगे अनुरोध किया गया कि प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाए।

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद मे उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2024 मे थानाध्यक्ष लालगंज से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अंचलाधिकारी लालगंज का पूर्व से प्राप्त प्रतिवेदन को आधार बनाया गया है। थानाध्यक्ष लालगंज, वैशाली द्वारा अपने रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से अंकित है कि प्रश्नगत जमीन रामजन्म पासवान ने अपने नाम से खरीदा था, इस तथ्य से पुनरीक्षणकर्ता भी इंकार नही करते है कि जमीन रामजन्म पासवान के नाम से है। अंचलाधिकारी लालगंज के द्वारा भी रिपोर्ट दी गयी है कि जमीन रामजन्म पासवान की ही हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला रामजन्म पासवान के पक्ष मे ही बनता हुआ प्रतीत हो रहा है तथा पुनरीक्षणकर्ता को विवाद करने का कोई आधार प्रतीत नहीं

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–48 / 2025.

होता है एवं इसी आधार पर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, हाजीपुर, के द्वारा धारा

द0प्र0स0 144 (163 BNSS Act) के प्रकिया समाप्त की गयी हैं। इस आदेश मे किसी भी प्रकार की विधिक असंगति दृष्टिगत नही होती हैं। अतः अनुमण्डल दण्डाधिकार, हाजीपुर, वैशाली के आदेश मे कोई अशुद्धता, अवैधता या औचित्य की कमी नही है इसलिए प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता हैं।

लेखापित

(मनोज कुमार तिवारी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–48 / 2025.

Date of Judgment/Order	19-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	19-05-2026
Uploading Date	20-05-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar, D.W.T.C., Vaishali.

Web Copy not Official